1/8/25

वकील प्रार्थी उप. / वादी गोहि
पत्रावली का अवलोकन किया / प्रकरण
में अभार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
की गयी थी अभार्थी पक्ष ने अपने
दे प्रकरण में कोई प्रतिवाद पेश आपत्ति
प्रस्तुत नहीं हुई थी ऐसी स्थिति में प्रार्थी
के प्रार्थना पत्र के तथ्य स्पष्ट: सिद्ध है
अभार्थी प्रार्थी का पिता है तथा अभार्थी
के नाम की भूमि में से स्वेच्छा से हिस्सा
की भूमि की घोषणा प्रार्थी द्वारा नायब
तहसीलदार के समक्ष की गयी थी वाद के निस्तारण के
दौरान भूमि अन्यत्र रहन बैंक अनावश्यक
कर दी जाती है वो प्रार्थी को अपूर्णीय
हानि सम्भावित है प्रथम दृष्टया मामला
व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में
है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थायी
निषेधाज्ञा के विरुद्ध एक अपील की अवधि निषेधाज्ञा
पारित की जाती है कि वे मूल वाद के निस्तारण
तक विवादित भूमि ख.1 TSM खाता नं. 39
में स्थित मु.न.- 83 प.नं. 184/39 की कुल
3.997 है. अ.क. भूमि पर मौका एवं किस्म
की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश सुनाया गया
पत्रावली [illegible] हस्ताक्षरित
करके मूल वाद के साथ संलग्न

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested